उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U. P. Power Corporation Limited
(U.P.Govt. Undertaking)
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 25–अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2023–प्रोन्नति(02ब)/2022–23 **दिनांक : 31 मई, 2023**

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर श्री राकेश कुमार यादव (अभि0सं0–2015322, सैप आई0डी0–11002477) (गृह जनपद–वाराणसी) (सेवानिवृत्ति तिथि–31.05.2050), सहायक अभियन्ता (वै0एवंयां0), (सं0) मुख्य अभियन्ता (वितरण) बस्ती, अन्तर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को अधिशासी अभियन्ता (वै0एवंयां0) के पद पर प्रोन्नत कर **उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मुख्यालय** को आवंटित किया जाता है।

2– परिषदादेश संख्या 1849–का.वि.नि./रा.वि.प.–29/97–14काविनी/87, दिनांक 8 अक्टूबर 1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री राकेश कुमार यादव को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री रजित कुमार (अभि0सं0–2015324, सैप आई0डी0–11002084) की सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता (वै0एवंया0) के पद पर प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि 07.11.2022 से अधिशासी अभियन्ता (वै0एवंया0) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

3– नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी ने कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनांक 11–6–2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण कर दिया है।

4– उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञाप सं0–2900–प्रशि0–10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

5– उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त किया जायेगा।

6– यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

7– उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं0–4274/2022, आशुतोष कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।

अध्यक्ष

संख्या: 25(1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल, वाराणसी/मध्यान्चल, लखनऊ/दक्षिणान्चल, आगरा/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
3– अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
5– समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
6– उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
7– उप सचिव, ज0श0 प्रशि0 एवं प्रशा0सु0/गोपन/अ0प्र0–(03/04)/अ0प्र0–07 उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
8– सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(प्रवीण कुमार अवस्थी)
संयुक्त सचिव (01)